रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1104] नई दिल्ली, सोमवार, मई 25, 2015/ज्येष्ठ 4, 1937
No. 1104] NEW DELHI, MONDAY, MAY 25, 2015 /JYAISTHA 4, 1937

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 मई, 2015

का.आ. 1396(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, का.आ. 763(अ) तारीख 14 सितंबर, 1999 (जिसे इसे इसके पश्चात उक्त अधिसूचना कहा गया है), का.आ. 979(अ) तारीख 27 अगस्त, 2003 और का.आ. 2804(अ) तारीख 3 नवंबर, 2009 द्वारा ईटों के विनिर्माण के लिए ऊपरी मृदा की उत्खनन को निषिद्ध करने और कोयला या लिग्नाइट आधारित तापीय विद्युत संयत्रों से एक सौ किलोमीटर की विनिर्दिष्ट परिधि में भवन सामग्री के विनिर्माण और निर्माण क्रियाकलापों में फ्लाई ऐश के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए निर्देश जारी किए थे;

और उक्त संशोधन अधिसूचना सं. का.आ. 804(अ) तारीख 3 नवंबर, 2009 द्वारा तापीय संयत्रों द्वारा फ्लाई ऐश के सौ प्रतिशत उपयोग के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समय-सीमा विनिर्दिष्ट की थी;

और यह देखा गया है कि तापीय विद्युत संयत्रों द्वारा सौ प्रतिशत फ्लाई ऐश के उपयोग के लक्ष्य को अभी प्राप्त किया जाना है और अप्रयुक्त फ्लाई ऐश की मात्रा निरंतर बढ़ रही है;

और यह भी देखा गया है कि निर्माण एजेंसियां फ्लाई ऐश तथा फ्लाई ऐश आधारित उत्पादों का अपनी निर्माण परियोजनाओं में प्रयोग नहीं कर रहीं हैं;

और यह महसूस किया गया कि देश में फ्लाई ऐश और फ्लाई ऐश आधारित उत्पादों के उपयोग के लिए अतिरिक्त उपाय करने की तत्काल आवश्यकता है;

और भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इस मुद्दे का परीक्षण किया है और केन्द्रीय सरकार का यह मत है कि उक्त अधिसूचना में संशोधन किए जाने की आवश्यकता है;

और पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) में यह उपबंध है कि जहां केन्द्रीय सरकार किसी उद्योग की अवस्थितियों या किसी क्षेत्र में प्रसंस्करण या प्रचालन करने पर प्रतिषेध या निर्बंधन अधिरोपित करना समीचीन समझे तो वह ऐसा करने के अपने आशय की सूचना दे सकती है;

अब, इसीलिए, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (5) तथा धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित और संशोधन, जिन्हें उक्त अधिसूचना में करने के प्रयोजन से केन्द्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) नियम 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) की अपेक्षा के अनुसार जनता, जिसके उससे प्रभावित होने की संभावना है, की सूचना के लिए एतद्वारा प्रकाशित किए जाते हैं; और एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप संशोधन अधिसूचना पर सरकारी राजपत्र, जिसमें अधिसूचना प्रकाशित होगी, की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराए जाने की तारीख को अथवा उस तारीख से साठ दिनों की अवधि की समाप्ति के पश्चात विचार किया जाएगा;

आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हों, सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, चतुर्थ तल, पृथ्वी ब्लॉक, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग, नई दिल्ली-110003 को या इलेक्ट्रॉनिक रूप से ई-मेल : bnsinha@gov.in, shard.sapra@nic.in पर भेजे जा सकते हैं। आक्षेप या सुझाव, जो उक्त प्रारूप संशोधनों के संबंध में ऊपर विनिर्दिष्ट समय के भीतर किसी व्यक्ति से प्राप्त होते हैं, पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप संशोधन

1. उक्त अधिसूचना के पैरा 1 में -

(क) उप पैरा 1(क) में "सौ किलोमीटर" शब्दों के स्थान पर "पांच सौ किलोमीटर" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उप पैरा (3) में "100 कि.मी" अंको और शब्दों के स्थान पर "पांच सौ किलोमीटर" शब्द रखे जाएंगे;

(ग) उप पैरा (5), में "सौ किलोमीटर" शब्दों के स्थान पर "पांच सौ किलोमीटर" शब्द रखे जाएंगे;

(घ) उप पैरा (7) में "सौ किलोमीटर" शब्दों के स्थान पर "पांच सौ किलोमीटर" शब्द रखे जाएंगे।

2. उक्त अधिसूचना के पैरा 2 में, उप पैरा (7) के पश्चात, निम्नलिखित उप पैरा अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(8) प्रत्येक कोयला या लिग्नाइट आधारित तापीय विद्युत संयत्र (अंतिम सूचना से भावी उपयुक्त तारीख विनिर्दिष्ट की जाए) अपने पास उपलब्ध फ्लाई ऐश के प्रत्येक प्रकार का स्टॉक अपनी वेबसाइट पर अपलोड करेगा और उसके पश्चात प्रत्येक पखवाडे में कम से कम एक बार फ्लाई ऐश के प्रत्येक प्रकार के स्टॉक की स्थिति को अद्यतन करेगा।

(9) कोयला या लिग्नाइट आधारित तापीय विद्युत संयत्र से 100 कि.मी की परिधि में, भवन और सड़क निर्माण परियोजनाओं के लिए फ्लाई ऐश के परिवहन की लागत ऐसे कोयला या लिग्नाइट आधारित तापीय संयत्र द्वारा वहन की जाएगी और 100 किमी परिधि के बाहर तथा 500 कि.मी तक परिवहन लागत प्रयोक्ता निर्माण एजेंसी और कोयला या लिग्नाइट आधारित तापीय संयत्र के मध्य समानत रूप से बांटी जाएगी।

(10) कोयला या लिग्नाइट आधारित तापीय संयत्रों द्वारा पांच सौ कि.मी की परिधि में, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना और सरकार के धाति सृजन कार्यक्रमों, जो भवनों, सड़कों, बांधों और तटबंधों के निर्माण से संबंधित हैं, के तहत चलायी जा रही सड़क निर्माण परियोजनाओं के स्थल तक फ्लाई ऐश के परिवहन की समग्र लागत वहन की जाएगी।"

3. उक्त अधिसूचना के पैरा 3 के उप पैरा (7) के पश्चात, निम्नलिखित उप पैरा अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(8) विभिन्न निर्माण परियोजना को अनुमोदित करने वाले सभी राज्य प्राधिकरणों का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे फ्लाई ऐश या फ्लाई ऐश आधारित उत्पादों के प्रयोग हेतु तापीय विद्युत संयत्रों और निर्माण एजेंसी या ठेकेदारों के मध्य समझौता ज्ञापन या कोई अन्य प्रबंध किया जाना सुनिश्चित करें।

[सं. 9-8/2005-एचएसएमडी]

बिश्वनाथ सिन्हा, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3 उपखंड (ii) में अधिसूचना सं. का.आ. 763(अ) तारीख 14 सितंबर, 1999 द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसमें पश्चातवर्ती संशोधन अधिसूचना सं. का.आ. 979(अ) तारीख 27 अगस्त, 2003 और का.आ. 2804(अ) तारीख 3 नवंबर, 2009 द्वारा किए गए थे।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th March, 2015

S.O. 1396(E).—whereas by notification number S.O. 763(E) dated the 14th September, 1999 (hereinafter referred to as the said notification) notifications S.O. 979(E) dated the 27th August, 2003 and S.O. 2804 (E) dated the 3rd November, 2009, the Central Government issued directions for restricting the excavation of top soil for manufacture of bricks and promoting utilisation of fly ash in the manufacture of building materials and in construction activities with a specified radius of one hundred kilometers from coal or lignite based thermal power plants;

And whereas, vide the said amendment notification number S.O.804(E) dated the 3rd November, 2009, timeline to achieve the target of hundred per cent utilisation of fly ash by thermal power plants was specified;

And whereas, it is observed that the thermal power plants are yet to achieve the target of hundred per cent utilisation of fly ash and the unutilised fly ash quantum is continuously increasing;

And whereas, it is observed that the construction agencies are not using fly ash and fly ash based products in their construction projects;

And whereas, it is felt that there is an urgent need to provide additional measures for utilization of fly ash and fly ash based products in the country;

And whereas, the issue has been examined by the Government of India in the Ministry of Environment and Forests and the Central Government is of the opinion that the said notification needs to be amended;

And whereas, clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 provides that whenever the Central Government considers it expedient to impose prohibition or restrictions on the locations of any industry or the carrying on of processes or operations in any area, it may give notice of its intention to do so;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of the section 3, and section 5 of the Environment (Protection)Act, 1986 (29 of 1986), the following further amendments, which the Central Government proposes to make in the said notification is hereby published as required by clause (a) of sub-rule(3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft amendment notification will be taken into consideration on or after the expiry of the period of sixty days from the date on which copies of the Official Gazette, in which this notification is published, are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, 4th Level, Prithvi Block, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, New Delhi-110003, or electronically at e-mail address: bnsinha@gov.in, sharad.sapra@nic.in. The objection or suggestion, which may be received from any person with respect to the said draft amendments within the period specified above, will be taken into consideration by the Central Government.

DRAFT AMENDMENTS

1. In the said notification, in paragraph 1,-

   (a) in sub-paragraph 1(A), for the words "hundred kilometers", the words "five hundred kilometers" shall be substituted:

(b) in sub-paragraph (3), for the figures and letters "100 km." the words and letters "five hundred kilometers" shall be substituted;

(c) in sub-paragraph (5), for the words "hundred Kilometers", the words "five hundred Kilometers" shall be substituted.

(d) in sub-paragraph (7), for the words "hundred Kilometers", the words "five hundred Kilometers" shall be substituted.

2. In the said notification, in paragraph 2, after the sub-paragraph (7) the following sub-paragraphs shall be inserted, namely:—

"(8) Every coal or lignite based thermal power plants shall, (A suitable date prospective to final notification is to be specified) upload the stock of each type of fly ash available with them on their website and, thereafter shall update the stock position for each type of fly ash at least once in every fortnight.

(9) A radius of hundred Kilometers from a coal or lignite based thermal power plant, the cost of transportation of fly ash for building and road construction projects shall be borne by such coal or lignite based thermal power plant and the cost of transportation beyond a radius of hundred Kilometers and upto five hundred kilometers shall be shared equally between the user construction agency engaged and the coal or lignite based thermal power plant.

(10) The coal or lignite based thermal power plants within a radius of five hundred kilometers shall bear the entire cost of transportation of fly ash to the site of road construction projects under Pradhan Mantri Gramin Sadak Yojna and asset creation programmes of the Government involving construction of buildings, road, dams and embankments".

3. In the said notification, in paragraph 3, after the sub-paragraph (7) the following sub-paragraph shall be inserted, namely:—

"(8) It shall be the responsibility of all State Authorities approving various construction projects to ensure that Memorandum of Understanding or any other arrangement for using fly ash or fly ash based products is made between the thermal power plants and the construction agency or contractors."

[No. 9-8/2005-HSMD]

BISHWANATH SINHA, Jt Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extra ordinary, Part II, section 3, sub-section (ii) *vide* notification number S.O. 763 (E), dated the 14th September, 1999 and was subsequently amended vide notification numbers S.O. 979(E), dated the 27th August, 2003 and S.O. 2804 (E), dated the 3rd November, 2009.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.